न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

प्रार्थना पत्र संख्या–112/2024

तहसीलदार (भू.अ.) तहसील सिकराय, दौसा के पत्रांक भू–अ0/2024/2778 दिनांक 10.09.2024 द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करवाने बाबत।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू0 राजस्थान अधिनियम के द्वारा 131,132 संपठित भू0 अभिलेख नियम 1957 के नियम 18,59,60,66,86 के प्रावधानानुसार

निर्णय दि0 08/07/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सिकराय दौसा के पत्रांक भू–अ0/2024/2778 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण में राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करवाने बाबत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिसमें अंकित किया गय है कि ग्राम निहालपुरा के ख. न. 99 में से 0.04 है0, खसरा नम्बर 101 की भूमि में से 0.03 है0, खसरा नम्बर 83 में से 0.02 है0, खसरा नम्बर 84 में से 0.0110 है0, खसरा नम्बर 85 में से 0.01 है0, खसरा नम्बर 91 में से 0.02 है0, खसरा नम्बर 93 में से 0.0420 है0, खसरा नम्बर 35 में से 0.0110 है0, खसरा नम्बर 47 में से 0.01 है0, खसरा नम्बर 46 में से 0.00800 है0, खसरा नम्बर 44/985 में से 0.0140 है0, खसरा नम्बर 37 में से 0.0420 है0, खसरा नम्बर 45 में से 0.0140 है0, खसरा नम्बर 49 में से 0.0380 है0, खसरा नम्बर 20 में से 0.0160 है0, खसरा नम्बर 33 में से 0.0160 है0, खसरा नम्बर 34 में से 0.0130 है0, खसरा नम्बर 102 में से 0.03 है, खसरा नम्बर 6 मं से 0.0450 है0 भूमि निजी खातेदारी भूमि है जो मौके पर चालू रास्ता है।

चुंकि मौके पर यह चालू रास्ता आवागमन के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा भूमि का भौतिक स्वरूप भी परिवर्तित हो चुका है। मौके पर रास्ता है राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार मौके पर चाले रास्तों को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है जिससे कि राजस्व रिकार्ड की मौका एवं नक्शों की स्थिति अद्यतन रह सके। संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी किये गये परंतु खातेदार उपस्थित नही हुए।

पत्रावली मे उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार सिकराय एवं जमाबंदी तथा संलग्न नक्शों का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौके पर चालू उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाना हमारी राय में आवश्यक है।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 131,132 संपठित भू0 अभिलेख नियम 1957 के नियम 18,59,60,66,86 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप के परिपत्र क्रमांक प–3(17) राज–6/21/91 दिनांक 30 सितम्बर 2021 के बिन्दुं सं0 4 (2) के तहत ग्राम निहालपुरा के ख. न. ख. न. 99 में से 0.04 है0, खसरा नम्बर 101 की भूमि में से 0.03 है0, खसरा नम्बर 83 में से 0.02 है0, खसरा नम्बर 84 में से 0.0110 है0, खसरा नम्बर 85 में से 0.01 है0, खसरा नम्बर 91 में से 0.02 है0, खसरा नम्बर 93 में से 0.0420 है0, खसरा नम्बर 35 में से 0.0110 है0, खसरा नम्बर 47 में से 0.01 है0, खसरा नम्बर 46 में से 0.00800 है0, खसरा नम्बर 44/985 में से 0.0140 है0, खसरा नम्बर 37 में से 0.0420 है0, खसरा नम्बर 45 में से 0.0140 है0, खसरा नम्बर 49 में से 0.0380 है0, खसरा नम्बर 20 में से 0.0160 है0, खसरा नम्बर 33 में से 0.0160 है0, खसरा नम्बर 34 में से 0.0130 है0, खसरा नम्बर 102 में से 0.03 है, खसरा नम्बर 6 मं से 0.0450 है0 मौके पर चालू रास्ता है जो निजी खातेदारी भूमि खातेदारों के नाम से है। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शों के अनुसार भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शा आदेश का भाग रहेगा। रास्ते की भूमि निजी खातेदारों के नाम से रहेगी तथा बटा न. डालकर तदानुसार रिकार्ड मे अमल कर पालना से अवगत करावें। निर्णय आज खुला न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला-दौसा (राज.)

डॉ0 नवनीत कुमार
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा